राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-3 अंक : चतुर्थ वर्ष : 2007-2008 वि.सं. : 2064 बिक्री के लिये नहीं

दो शब्द

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सर्वद्धन हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता से प्रयासरत है । **"मानव के गरिमापूर्ण जीवन"** की सुनिश्चिता आयोग की कार्यवाही का केन्द्र बिन्दू रहा है । आयोग के द्वारा मानवाधिकारों से जुडी सभी शिकायतों के अलावा समय– समय पर संबंधित विभागों से विचार–विमर्श भी किया जाता है । आयोग समाज के सभी वर्गो, विशेष रुप से पीडित, शोषित, कमजोर वर्गो, बच्चों, महिलाओं एवं दलितों के मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में प्रयत्नशील है।

मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सभी नागरिक बन्धुओं का सहयोग कर्मठता के साथ नहीं मिलेगा, तब तक आयोग अपने प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा। आयोग सभी एन.जी. ओ व खास तौर से मानव अधिकारों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों को उनके कर्तव्य एवं मानवाधिकारों के बारे में जानकारी देने के साथ सामाजिक बुराईयों एवं कुरीतियों को सकारात्मक सोच से दूर करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्था इस जागरूकता कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रही है। जिसके फलस्वरूप एक–दूसरे के अधिकारों की रक्षा हो एवं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर, मानव अधिकारों का संरक्षण के साथ–साथ उनके हनन को रोकने में मदद मिल रही है। इनके अलावा प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण व सकारात्मक सहयोग के लिए मिडिया व पत्रकार बन्धुओं की अहम् भूमिका है। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र है। और आशा है वो भविष्य में भी अपना दायित्व भली–भाँति निभाते रहेंगे।

इसी क्रम में हाल ही में आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से **महिलाओं एवं बच्चों के देह व्यापार** की समस्या पर व्यापक विचार विमर्श हेतु पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

आयोग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक न्यूज लेटर के चतुर्थ अंक के प्रकाशन के अवसर पर सभी प्रबुद्ध पाठकों का अभिनंदन।

न्यूज लेटर का प्रकाशन मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता की अभिवृद्धि में सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमजन के सहयोग एवं विश्वास से ही आयोग एक मिशनरी की तरह जनजागरण में आपसी सहयोग व स्वयं द्वारा चाहने जैसा व्यवहार दूसरों से भी करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्धेश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा।

(जस्टिस एन.के. जैन)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण कियाकलाप

(माह जनवरी, 2007—मार्च, 2007)

परिवादो में आयोग द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख आदेश/निर्देश

1. परिवाद संख्या 05/17/3048 में जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर की ईकाई संख्या 4 में चिकित्सक एंव नर्सिगकर्मियों की लापरवाही के कारण मृत्यु होने के कारण आयोग ने अन्तरिम राहत स्वरूप 25,000/— हजार (पच्चीस हजार रूपये) बतौर सहायता के आदेश के साथ, सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता दी। जिस पर सरकार ने पीड़ित पक्ष को अंतरिम राहत का भुगतान किया।

2. परिवाद संख्या 6/29/318 में पुलिसकर्मी द्वारा परिवादी से पासपोर्ट की तस्दीक हेतु रुपए मांगने पर आयोग ने निर्देशित किया कि दोषी आरक्षी महावीर सिंह के विरुद्ध कानूनी जांच कर नियमानुसार उचित दंड दिया जायें ।

3. परिवाद संख्या 2/23/1881 में बन्दी की मृत्यु होने पर आयोग ने मृतक के वारिसान को क्षतिपूर्ति हेतु अंतरिम सहायता स्वरूप रु. 50,000/— (रूपये पचास हजार) अदा किए जाने के आदेश दिए।

4. परिवाद संख्या 6/17/2812 में आयोग के निर्देशों पर अस्पताल में वरिष्ठ लेब टेक्निशियन का पदस्थापन किया जा चुका है। रोगियों की जांच हेतु सैम्पल लेने का समय भी बढा दिया गया है तथा प्रयोगशाला का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है। आयोग के निर्देश पर अस्पताल की सफाई व्यवस्था नई टीम के माध्यम से सुचारु रुप से कराई जा रही है। इसके अलावा भविष्य में अस्पताल में सफाई का समुचित ध्यान रखने, खराब मशीनरी को तुरन्त ठीक करवाये जाने, मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए अच्छा वातावरण रखने के साथ–साथ यह भी निर्देश प्रदान किए गये हैं कि आयोग द्वारा कभी भी उक्त अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

5. परिवाद संख्या 4/9/552 में को आयोग ने निर्देशित किया कि राज्य सरकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पोलिग्राफिक टेस्ट स्टॉफ की कमी को तुरन्त पूरा करें, जिससे स्टॉफ की कमी के कारण हत्या जैसे गंभीर मामलों के अन्वेषण में देरी ना हो ।

6. परिवाद संख्या 3/17/373 में वैवाहिक स्थलों की संख्या बेतहाशा बढने और पार्किग की व्यवस्था न होने के संबंध में आयोग के निर्देशों पर विवाह स्थलों के सबंध में उपनियम बनाए जा चुके है तथा राजस्थान राज्य पत्र में जयपुर नगर निगम {विवाह स्थल} उप विधियां 2005 के नाम से दिनांक 6 जुलाई 2006 को प्रकाशित कर दिए गए है। जिसकी अनुपालना कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है।

7. परिवाद संख्या 6/26/3193 में परिवादी श्री लक्ष्मणसिंह, जिला पाली को वेतन नही देने के सबंध में आयोग के निर्देशों पर परिवादी को बकाया मानदेय माह जनवरी, 2006 से माह जनवरी, 2007 तक का भुगतान 42800/— रु. प्राप्त हो गया है।

8. परिवाद संख्या 5/22/3781 में परिवादिया श्रीमती धापूदेवी, निवासी चामू, जिला जोधपुर के साथ हुए बलात्कार के मामले में आयोग के निर्देशानुसार आर्थिक सहायता 6250/— रु. की स्वीकृत की जा चुकी है।

9. परिवाद संख्या 6/26/1831 में परिवादी श्री पुरुषोत्तम लाल पुरोहित, निवासी पाली ने आयोग के निर्देशानुसार परिवादी का जी.पी.एफ अंतिम निकासी रु. 29561/— का भुगतान एवं केन्द्रीय कर्मचारी बीमा समूह 80 का भुगतान रु. 7127/— किया जा चुका है।

10. परिवाद संख्या 06/17/86 में आयोग द्वारा दिनांक

9 जनवरी को लिये गये प्रसंज्ञान के तहत् दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार **''श्रीगंगानगर–हनुमानगढ से भी है 36 बच्चे लापता''** की प्रति सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजकर मामले की तथ्यात्मक वस्तुस्थिति साथ–साथ 2006 में उनके जिलों में बच्चों की गुमशुदगी की संख्या, उन पर की गई तफतीश के नतीजे व की गई कार्यवाही के बारे में सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गये।

11. परिवाद संख्या 07/17/283 में मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक टावर, इलेक्ट्रिक पैनल व जनरेटर लगाकर ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई.ओ.), हच कम्पनी से जवाब मांगा गया कि उनके द्वारा किन मानदण्डों के आधार पर एवं किन नियमों के अधीन रिहायशी मकानों/फ्लैटों की छत पर मोबाइल कम्पनी के टावर लगाये जा रहे हैं।

आयोग के सदस्यों द्वारा किए गए निरीक्षण

केन्द्रीय कारागार, जयपुर

1. आयोग के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति जगत सिंह व माननीय सदस्य श्री पुखराज सिरवी ने बीकानेर, जोधपुर, पाली क्षेत्रों में आकस्मिक निरिक्षण किया व जिले के अधिकारियों को आयोग द्वारा चाही वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा करते हुए संवेदशीलता से काम करने को कहा। इसके अलावा संबंधित थानों में परिवाद सख्या 5/17/369 में डी.के. बसु प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश की लगातार पालना करने की हिदायत दी गई।

2. आयोग के माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी तथा सचिव श्री गिरीराज सिंह के द्वारा दिनांक 18.1.2007 को केन्द्रीय कारागार, जयपुर का निरीक्षण किया गया तथा जेल स्टाफ में कमी, सुरक्षा की आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, जेल अस्पताल में लेब टेक्निशियन का पद स्थापन्न करने, एवं बीमार बंदियों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करने, बंदियों की संख्या के अनुपात में वार्डो की संख्या बढाने आदि के सबंधं में आवश्यक सुधार हेतु राज्य सरकार को अनुशंषा की गई है।

3. परिवादों की जांच एवं वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाने के कारण आयोग ने विभिन्न विभागों, खास तौर से एस.पी. दक्षिण, जयपुर को नोटिस दिया कि वस्तुस्थिति की सूचना आयोग को एक साल तक उपलब्ध नहीं कराना उचित नहीं है। अतः समय पर सूचना देवें अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी और पुलिस महानिदेशक को भी इससे अवगत कराया गया। इस पर 47 केसों में से करीब 33 की वस्तुस्थिति आयोग के सामने प्रस्तुत की गई ।

4. आयोग के सचिव एंव सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2007 को हिगौनिया गौ–शाला का निरीक्षण किया गया।

5. परिवाद संख्या – 6/17/2813 में आयोग द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में समुचित सफाई व्यवस्था नहीं होने और ईकाइयों में गंदगी बनी रहने पर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा।

आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयेाग द्वारा दिनांक 29.3.2007 को **''चाईल्ड लेबर एण्ड वीमन ट्रेफिकिंग''** विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री एस.एन. भार्गव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रतिनिधि श्रीमती शान्ता कुमारी मैनन, महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती तारा भण्डारी, आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण, राज. बार कौन्सिल के अध्यक्ष, अशोक मेहता व जयपुर बार के अध्यक्ष वीरेन्द्र गोदिका, आई. जी. पुलिस (मानवाधिकार) श्री टी.एल. मीणा व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उच्चधिकारियों एंव गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यू.जी.सी./विश्वविद्यालय, संस्थाऐं व विभिन्न एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानवाधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की व अन्य सदस्यों की सहभागिता जिसके कारण मानवाधिकारों से संबंधित विषयों पर जागरूकता को बढावा मिला जिनमें से कुछ खास निम्न हैं –

1. राष्ट्रीय सेमिनार, स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन, नई दिल्ली व यूनेस्को एसोसिएशन राजस्थान द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2007 को ''मानवाधिकार एवं सूचना के अधिकार'' विषय पर उदयपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय अध्यक्ष के साथ जस्टिस एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, यू.आई.टी श्री सुर्दशन व श्री धीरेन्द्र भटनागर, श्री श्याम बनवाडी व पूर्व सदस्य, आर.के. आकोडिया, पी.एल. मीमरोठ व अन्य एन.जी.ओ व गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया।
2. दिनांक 18 जनवरी, 2007 को महालेखाकार विभाग में ''मानवाधिकार से संबंधित विषयों'' पर चर्चा की गई। जिसमें आयोग के अध्यक्ष के अलावा एकाउंटेंट जनरल साहिबा मीनाक्षी मिश्रा जी, अन्य वरिष्ठ लेखाकार, रिक्रेशन क्लब के अध्यक्ष, अधिकारीगण व समस्त कर्मचारी बन्धुओं ने भाग लिया।
3. राष्ट्रीय सेमिनार, मानवाधिकार पर्यावरण एवं विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2007 को "Holistic Approch on Health care in India : Challenges and Opportunities" विषय पर, जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ न्यायाधिपति श्री ए.के. माथुर, जज, सुप्रीम कोर्ट, न्यायमूर्ति विनित सरन, जज इलाहाबाद हाईकोर्ट, डॉ. एम.के. भण्डारी, लॉ यूनिर्वसिटी जयनारायण व्यास, डॉ. सुरेश, डॉ. महावीर व अन्य प्रोफेसर, डॉक्टर्स, एन.जी.ओ., एक्सपर्टस्, एड्वोकेट्स ने भाग लिया।
4. नेशनल सेमिनार, राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग व यू.जी.सी. के सहयोग से दिनांक 7 फरवरी. 2007 को Human Rights Duties & Value Education in India विषय पर 21 दिवसीय रेफ्रेशर कोर्स, जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ इण्डियन लॉ इन्स्ट्टयूट, नई दिल्ली के VC, प्रोफेसर के.एन.सी. पिल्लई, UGC के प्रतिनिधिगण, डॉ. सोमदेव, राजस्थान विश्वविद्यालय विधि विभाग के डीन, प्रोफेसर सतीश शास्त्री व अन्य प्रोफेरर्स, विधि वक्ताओं ने भाग लिया।
5. W.H.O., महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर एवं T.C.C. Centre के सहयोग से Annual Review Meeting of Tobacco Cessation Centres, 2007 दिनांक 8 फरवरी, 2007 को आयोजित कार्यक्रम में आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन के साथ माननीय स्वास्थ्य मत्री डॉ. दिगम्बर सिंह, डॉ. विनायक प्रसाद, सुश्री विनीत गिल् मुनीष, श्री नवरतन कोठारी, श्री विमलचन्द सुराणा, श्रीमती अनिला कोठारी, डॉ. एस.सी. पाण्डे, रेणु सिंह, स्टेट हैड, हेल्पेज इंडिया व अन्य डाक्टर्स, वैज्ञानिक एवं एन.जी.ओ ने भाग लिया।
6. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, राजस्थान कैंसर सोसायटी व 'कोशिश' एम.ए.आई. जयपुर चैप्टर एव रेडियोथेरेपी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 9 फरवरी, 2007 को जयपुर में ''विश्व कैंसर मुक्ति दिवस समारोह'' आयोजित किया गया। जिसमें आयोग के माननीय अध्यक्ष के साथ श्री भंवरलाल जी कोठारी, अध्यक्ष राजस्थान गौ–सेवा, श्री सुधीन्द्र गेमावत, मेजर जनरल एस.एन. श्रीवास्वत, श्रीमती शशि कपूर, विभागाध्यक्ष, डॉ. डी.पी. अग्रवाल व अन्य एन.जी.ओ. व संदर्भ व्यक्तियों ने भाग लिया तथा 80 मरीजों को स्वस्थ कर सामान्य अवस्था में लाने के कारण अन्य ऐसे मरीजों को प्रेरणा दी।
7. राजस्थान विश्वविद्यालय की Diamond Jubilee Celebration esa National Symposium on Cancer : Diagnosis, Awareness & Treatment विषय पर प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा यू.जी.सी. के सहयोग से दिनांक 24 फरवरी, 2007 आयोजित संगोष्ठी में आयोग के माननीय अध्यक्ष के साथ श्री एन.के. जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रोफेसर भटनागर, प्रोफेसर एन.के. लोहिया, प्रोफेसर ए.एल. भाटिया, डॉ. पी.के. गोयल, प्रोफेसर एस. हुक्कू, प्रोफेसर एस.सी. पाण्डे, डॉ. अग्रवाल व अन्य विशेषज्ञों, एन.जी.ओ., सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
8. People's Watch, तमिलनाडू व Rajasthan Office, द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2007 को Law Enforcement Officials के लिए आयोजित वर्कशॉप में आयोग के माननीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व डी.जी.पी. श्री शंकरसेन, सुनीला सिंह, मिस्टर हेनरी, सिस्टर केरोल, श्री किशन गुर्जर, श्री आर. के. सक्सेना व अन्य पुलिस ऑफिसर्स ने भाग लिया।
9. राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय द्वारा दिनांक 18 मार्च 2007 को राजस्थान के विधि महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु मानवाधिकारों से संबंधित विषय पर

आयोजित सेमिनार में माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा एवं श्री एन.के. जैन (वाइस चांसलर) राजस्थान यूनिर्वसिटी, पूर्व जस्टिस पी.सी. जैन, डॉ. यू.सी. सांखला, श्री डॉ. बी.डी. रावत व श्री बी. एस. सलूजा के अलावा अन्य प्रबुद्ध एवं संदर्भ व्यक्तियों ने भाग लिया।

10. राजस्थान विश्वविद्यालय एवं ICADR, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 25 मार्च, 2007 को Alternative Dispute Resolution Mechanics : National & International Perspectives विषय पर सेमिनार के VALEDICTORY Session में आयोग के माननीय अध्यक्ष के साथ न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्र, डॉ. यू.सी. सांखला, डॉ. बी.डी. रावत व श्री बी.एस. सलूजा के अलावा अन्य प्रबुद्ध एवं सदंर्भ व्यक्तियों ने भाग लिया।

11. 'Praysa' (Centre for Special Education & Vocational Training) संस्था, जो मंदबुद्धि व विकलांग बच्चों के विकास के लिए कार्यरत है, द्वारा स्टेट लेवल एन.जी.ओ. की आयोजित संगोष्ठी में माननीय न्यायमूर्ति जगत सिंह ने शिरकत की व मैडम जितेन्द्र अरोडा, संजय जैन व अन्य डाक्टर्स के साथ दिनांक 26 मार्च, 2007 को भाग लिया।

12. National Seminar on EDUCATIONAL CONSULTATION ON HUMAN RIGHTS पर I.A.S.E. विश्वविद्यालय सरदारशहर (चुरू) व U.G.C., INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION (B.T.T. Collage) के सहयोग से दिनांक 26 मार्च, 2007 को मानवाधिकारों विषयों पर आयोजित कार्यक्रम में आयोग के माननीय अध्यक्ष के अलावा, श्री मिलाप दुगड, वाइस चांसलर, डॉ. दिनेश, प्रोफेसर व पत्रकार मधु पूर्णिमा किशवर, यू.जी.सी. के पूर्व सदस्यगण व पूर्व वी.सी., प्रोफेसर पी.एल. चतुर्वेदी, प्रोफेसर शर्मा व अन्य प्रोफेसर, तथा संदर्भ व्यक्ति ने भाग लिया।

इसके अलावा राजस्थान युवा छात्र संस्था द्वारा आयोजित **''स्वामी विवेकानन्द पुरस्कार''** समारोह में रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष, श्री परमेश चन्द्र, प्रेस क्लब के अध्यक्ष एस. एल. शर्मा, संस्था के संरक्षक मोदी व अध्यक्ष देवेन्द्र सक्सेना, महेन्द्र शर्मा, पुरस्कार विजेताओं व समाजसेवियों की उपस्थिति में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने मानवाधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी व दिनांक 30 मार्च, 2007 को ब्राइट हॉरिजन स्कूल के वार्षिक समारोह में जस्टिस डॉ. विनीत कोठारी, श्रीमती अनिला कोठारी, स्कूल की प्रधानाध्यापक नीता नवलखा, श्री सूरज नवलखा, स्कूल अध्यापक व अभिभावकगण एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गये सांस्कृतिक कार्यक्रम को माननीय अध्यक्ष ने सराहते हुए बधाई के साथ व ''पर्यावरण'' एवं मानवाधिकार के सम्बन्ध में जानकारी दी ।

मानवाधिकारों से संबंधित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन

आयोग द्वारा मानवाधिकार पर पूर्व में लीगल लिक्ट्रेसी एवं अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जनोपयोगी प्रकाशन की गई 13 पुस्तकों {बुकलेट्स} में से इस सत्र में निम्न 6 पुस्तकों (Human Rights, बालकों के अधिकार, एच.आई.वी/एड्स एवं हूमन राइट्स, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार एवं गिरफ्तारी) का मानवाधिकार के साक्षरता के प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु पुनः प्रकाशित कराया गया। इसके अलावा निम्न स्वंयसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों ने जनजागरूकता तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्यक्रम में अपने आपको जोडते हुए कुछ विषयों पर पुस्तकें जनहित में प्रकाशित करवाकर आयोग को सूचना दी गई।

1. श्री धीरेन्द्र भटनागर, नेशनल सेकेट्री, कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब, नई दिल्ली।
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।
3. मैसर्स विनायक फार्मा, जयपुर।
4. श्री धर्मीचन्द–गौतम चन्द विनायिका, जयपुर।
5. डॉ. गौतम, डॉ. अरुण जैन, जयपुर।
6. डॉ. के.एल जैन, सचिव, चैम्बर ऑफ कामर्स, जयपुर ने अपने मासिक जनरल में विभिन्न पुस्तकों के आर्टिकल प्रकाशित कराये।
7. डॉ. महेश कुलवाल, नवमंगल शिक्षा समिति, शास्त्री नगर, जयपुर।
8. श्री श्याम बनवाडी, स्टेट हैड, कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब, भीलवाडा।
9. भीलवाडा से प्रकाशित साप्ताहिक सामाचार पत्र, "प्रभावित" में विभिन्न पुस्तकों के आर्टिकल प्रकाशित कराये।

पत्रकार बंधुओं व संस्थाओं द्वारा मानवाधिकारों की जागरूकता एवं सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने व सहयोग के लिए धन्यवाद। –सम्पादक

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण**- जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव**- श्री गिरीराज सिंह, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 5104212.

Book Post